न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री मगनलाल उर्फ मंगलिया पुत्र श्री नवाराम जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गणेशजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
2. श्री तुलसीराम पुत्र श्री गणेशजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री सुखदेव पुत्र श्री मंछाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री लालाराम पुत्र श्री मंछाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
5. श्री नारायणलाल पुत्र श्री जोधाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
6. श्री खीमाराम पुत्र श्री जोधाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
7. सुश्री पार्वती पुत्री श्री जोधाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
8. सुश्री पिन्टा पुत्री श्री जोधाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
9. श्री देवाराम पुत्र श्री मनाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
10. श्री हरिशंकर पुत्र श्री मनाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
11. सुश्री पुष्पादेवी पुत्री मनाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
12. श्रीमती भागुदेवी पत्नि श्री मनाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
13. श्री मगन पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
14. श्री किशोर पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
15. श्री परमेश्वर पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
16. श्री कैलाश पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
17. श्री भरत पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

18. श्री सुरेश पुत्र श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
19. सुश्री पिन्की पुत्री श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
20. श्रीमती जमनादेवी पत्नि श्री राजाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
21. श्री दलपत पुत्र श्री जवानमलजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
22. श्री गोकुलराम पुत्र श्री पदमाजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
23. श्री मोहन पुत्र श्री भबूताजी जाति रावल निवासी नवारा तहसील व जिला सिरोही।
24. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही।

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 18/2021

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी, प्रार्थी की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थी संख्या 13 से 20 की ओर से।
(3) अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी, अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से।
(4) अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से।
(5) नायब तहसीलदार सिरोही, पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :– **दिनांक 06.02.2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि ग्राम नवारा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 453, 454, 455, 830, 831 व 590 कुल किता 06 कुल रकबा 18.3300 हैक्टेयर अर्थात 113 बीघा 4 बिस्वा की भूमि श्री जागेश्वरजी मन्दिर की है। मिसल बन्दोबस्त मौजा नवारा तहसील व जिला सिरोही सम्वत् 2013 में उक्त कृषि आराजी डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी चाहे देह माम पुराजी गणेश, तोला और पुनमा, पिसरान केरींगजी 1/3 हिस्सा, वीरा, पदमा पिसरान श्री अनाजी, मोहन वल्द भबूता 1/3 हिस्सा एवं श्री हासा वल्द दौला व हासा वल्द चेला का 1/3 हिस्सा, कौम ब्राह्मण साकिनदेह पुजारी के नाम से मिसल बन्दोबस्त अनुसार उक्त आराजी डोली मन्दिर जागेश्वरजी दर्ज है। बतौर पुजारी का नाम अंकित किया गया है, जो माफिक खुद काबिज है एवं देव स्थान ... है एवं उक्त आराजी मन्दिर की भूमि है, उस पर केवल मात्र पुजारी को ... आदि करने का हक अधिकार प्राप्त है, ना की खातेदारी अधिकार ... प्राप्त है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज केवल मात्र पुजारी के नाम दर्ज है, जो मिसल बन्दोबस्त संवत 2013 से 2035 के र... व रेकर्ड से साबित है एवं उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:38:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भूमि माफिक देवस्थान अर्थात जागेश्वरजी मन्दिर के नाम से भूमि होने से उक्त भूमि पर किसी को भी खातेदारी हक अधिकार नहीं दिए जा सकते है। केवल मात्र उक्त मन्दिर जो जागेश्वरजी मन्दिर के नाम से स्थित है, जिसकी पूजा अर्चना करने का पुजारी को अधिकार प्राप्त है एवं मन्दिर की भूमि है एवं मन्दिर का रख–रखाव पूरा गांव बरसों से करता आ रहा है। यह कि राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से या त्रुटिवश जिन्हें पूर्व में मिसल बन्दोबस्त में बतौर पुजारी के नाम जो दर्ज थे, जो उनकी मृत्यु पश्चात केवल मात्र पुजारी के नाम उनके वारिसदारों के नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन भू–प्रबन्धन विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से या त्रुटिवश प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मृत्यु पश्चात उनके वारिसदारों के नाम बतौर खातेदारी दर्ज करते हुए डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी के नाम से भूमि दर्ज है। उक्त नाम राजस्व जमाबंदी से हटा दिया, जबकि उन्हें नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन गलत रूप से कानून की मंशा के विपरीत परे जाकर बतौर खातेदारी नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया, ऐसा करके राजस्व अधिकारियों द्वारा बडी भारी गलती की है। यह कि राजस्व अधिकारियों व भू–प्रबन्धन विभाग को मन्दिर की भूमि व डोली की भूमि के नाम दर्ज कृषि आराजी को किसी भी पुजारी के नाम से खातेदारी दर्ज करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है एवं न ही कानून ऐसी आज्ञा देता है। फिर भी विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज की है, जो सर्वथा गलत दर्ज की है और जिसे कदापि बहाल नहीं रखा जा सकता है। यह कि राजस्व अधिकारियों द्वारा मन्दिर की भूमि जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट साबित है, जिसे किसी पुजारी के नाम से खातेदारी दर्ज करके जो त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, उक्त खातेदारी नाम को निरस्त कर पुनः मन्दिर के नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। इस कारण उक्त रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी निरस्त कर मन्दिर के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण खातेदारी में गलत नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए उक्त आराजी को बेचान करने का आमदा है, जबकि उक्त भूमि मन्दिर माफी की भूमि है, जिसे बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर बार–बार उक्त आराजी बेचान करने पर आमदा होने से अप्रार्थी संख्या 24 तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी रेफरेन्स पेश नहीं करने से उक्त भूमि मन्दिर के नाम दर्ज करके खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रार्थी को यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करना पडा है। अतः उक्त विवादित कृषि भूमि के खसरा संख्या 453, 454, 455, 830, 831 व 590 ग्राम नवारा में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन हटाकर उसके स्थान पर मन्दिर के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 23 की ओर से अधिवक्ता श्री परेश कुमार रावल एवं अधिवक्ता श्री संजय माली ने अण्डरटेकिंग दी, परन्तु उनके द्वारा न तो वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और न ही जबाव पेश किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 13 से 20 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:38:50 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एवं अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी एवं अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित हुए एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ताओं की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मन्दिर मूर्ति जो कि शास्वत नाबालिग है, की उक्त भूमि पर पुजारी अप्रार्थीगणों के पूर्वरसाधिकारियों के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकारिता के राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है एवं वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में मन्दिर मूर्ति की भूमि को खातेदारी दर्ज की गई। मिसल बन्दोबस्त मौजा नवारा तहसील व जिला सिरोही सम्वत् 2013 में उक्त कृषि आराजी डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी चाहे देह माम पुराजी गणेश, तोला और पुनमा, पिसरान केरींगजी 1/3 हिस्सा, वीरा, पदमा पिसरान श्री अनाजी, मोहन वल्द भबूता 1/3 हिस्सा एवं श्री हासा वल्द दौला व हासा वल्द चेला का 1/3 हिस्सा, कौम ब्राह्मण साकिनदेह पुजारी के नाम से मिसल बन्दोबस्त अनुसार उक्त आराजी डोली मन्दिर जागेश्वरजी दर्ज है। बतौर पुजारी का नाम अंकित किया गया है, जो माफिक खुद काबिज है एवं देव स्थान की भूमि है एवं उक्त आराजी मन्दिर की भूमि है, उस पर केवल मात्र पुजारी को पूजा–अर्चना आदि करने का हक अधिकार प्राप्त है, ना की खातेदारी अधिकार दर्ज करने के अधिकार प्राप्त है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज केवल मात्र पुजारी के नाम दर्ज है, जो मिसल बन्दोबस्त संवत 2013 से 2035 के राजस्व रेकर्ड से साबित है एवं उक्त भूमि माफिक देवस्थान अर्थात जागेश्वरजी मन्दिर के नाम से भूमि होने से उक्त भूमि पर किसी को भी खातेदारी हक अधिकार नहीं दिए जा सकते है। केवल मात्र उक्त मन्दिर जो जागेश्वरजी मन्दिर के नाम से स्थित है, जिसकी पूजा अर्चना करने का पुजारी को अधिकार प्राप्त है एवं मन्दिर की भूमि है एवं मन्दिर का रख–रखाव पूरा गांव बरसों से करता आ रहा है। यह कि राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से या त्रुटिवश जिन्हें पूर्व में मिसल बन्दोबस्त में बतौर पुजारी के नाम जो दर्ज थे, जो उनकी मृत्यु पश्चात केवल मात्र पुजारी के नाम उनके वारिसदारों के नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन भू–प्रबन्धन विभाग एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से या त्रुटिवश प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों के मृत्यु पश्चात उनके वारिसदारों के नाम बतौर खातेदारी दर्ज करते हुए डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी के नाम से भूमि दर्ज है। उक्त नाम राजस्व जमाबंदी से हटा दिया, जबकि उन्हें नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन गलत रूप से कानून की मंशा के विपरीत परे जाकर बतौर खातेदारी नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया, ऐसा करके राजस्व अधिकारियों द्वारा बडी भारी गलती की है। यह कि राजस्व अधिकारियों व भू-प्रबन्धन विभाग को मन्दिर की भूमि व डोली की भूमि के नाम दर्ज कृषि आराजी [illegible] भी पुजारी के नाम से खातेदारी दर्ज करने का कानून में [illegible] कानून ऐसी आज्ञा देता है। फिर भी विधि विरुद्ध तरीके से दर्ज की है [illegible] सर्वथा गलत दर्ज की है और जिसे कदापि बहाल नहीं रखा जा सकता है। यह कि राजस्व अधिकारियों द्वारा मन्दिर की भूमि जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट से साबित है, जिस किसी पुजारी के नाम से खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दर्ज करके जो त्रुटिपूर्ण कार्य किया है, उक्त खातेदारी नाम को निरस्त कर पुनः मन्दिर के नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। इस कारण उक्त रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी निरस्त कर मन्दिर के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण खातेदारी में गलत नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए उक्त आराजी को बेचान करने का आमदा है, जबकि उक्त भूमि मन्दिर माफी की भूमि है, जिसे बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर बार–बार उक्त आराजी बेचान करने पर आमदा होने से अप्रार्थी संख्या 24 तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी रेफरेन्स पेश नहीं करने से उक्त भूमि मन्दिर के नाम दर्ज करके खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रार्थी को यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करना पडा है। अतः उक्त विवादित कृषि भूमि के खसरा संख्या 453, 454, 455, 830, 831 व 590 ग्राम नवारा में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी का अंकन हटाकर उसके स्थान पर मन्दिर के नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 13 से 20 के विद्वान अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम नवारा तहसील व जिला सिरोही में अप्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 453, 454, 455, 830, 831 व 590 कुल किता 06 कुल रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा है। उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि, डोली मन्दिर श्री जागेश्वरजी की कृषि भूमि कभी नहीं रही है। प्रश्नगत कृषि आराजी माफी जागीर की कृषि आराजी होने से एवं अप्रार्थीगण बतौर कृषक भू–प्रबन्ध के पूर्व से अर्थात संवत 2000 के पूर्व से काबिज काश्त है तथा संवत 2021 में माफी की जागीर रिज्यूम होने से वो बतौर खातेदार अपने अपने हक हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज है। प्रश्नगत कृषि आराजी माफी की जागीर रही है तथा Land Reforms & Resumption of Jagir Act 1952 के तहत काबिज काश्तकारान को बतौर खातेदारान दर्जगी सर्वथा विधि सम्मत है। प्रार्थी जो प्रश्नगत आराजी का सह–काश्तकार है, ने उक्त रेफरेन्स की कार्यवाही सर्वथा अविधिक रूप से व अपरिपोषणीय रूप से विद्वेषपूर्ण आशय से प्रस्तुत की है, जो सर्वथा गलत है। यह कि प्रश्नगत आराजी में दर्ज हिस्सेदारों को बतौर खातेदार दर्जगी का प्रकरण राजस्व रेकर्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती या त्रुटिवश खातेदार कृषक के रूप में दर्जगी का नहीं है और न ही गलतियों के शुद्धिकरण का है, वरन् प्रश्नगत आराजी के दर्ज कृषक खातेदारान्/हिस्सेदारान माफी जागीर की आराजी होने एवं मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त की आराजी नहीं होने से एवं माफी की जागीर रिज्यूम होने पर काबिज कृषकगण को नियमानुसार खातेदारी हक प्रदान कर दर्ज किए है, जो विधिपूर्ण है। यह कि प्रश्नगत आराजी कभी भी मन्दिर की खुदकाश्त भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि माफी जागीर की भूमि रही है तथा माफी की जागीर के [illegible] पश्चात बतौर कृषक काबिज काश्तकारान को खातेदार दर्ज [illegible] प्रश्नगत आराजी का सह–खातेदारान दर्ज है, ने विधिपूर्ण कार्यवाही [illegible] विधिपूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण का भयादोहन करने से दुराशयपूर्ण आशय से दायर की है, जो गलत है। प्रार्थी को उक्त रेफरेन्स की कार्यवाही करने का कोई विधिपूर्ण हक नहीं है। अप्रार्थी संख्या 24 स्टेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:38:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जरिए तहसीलदार पूर्व में उक्त कार्यवाही स्वयं के नाम से अविधि सम्मत होने से अस्वीकार कर चुका है। यह कि उक्त रेफरेन्स में विवाद दो प्राईवेट पक्षकारान के मध्य है, जिसमें स्टेट जरिए तहसीलदार सिरोही का लेना-देना नहीं है और न ही पब्लिक पॉलिसी या स्टेट के हित प्रभावित है, जिससे प्रार्थी का उक्त रेफरेन्स आवेदन सर्वथा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। यद्यपि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेन्स दायरा हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। प्रार्थीगण को युक्तियुक्त समय एक वर्ष के अन्दर उक्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए थी। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स आवेदन समयावधि से वर्जित तथा प्रथम दृष्ट्या खारिज काबिल है। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत State of Rajasthan Vs Shri Bhagwan Das Charitable Trust 2010(1) RRT Page 562, RRD May 2005 Smt. Prabhati Vs Phooli & Ors Page No. 303 एवं 1996 DNJ (Raj.) Page 100 Raj High Court D.B. Anandilal Vs State of Rajasthan प्रस्तुत निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स आवेदन को खारिज किया जाना फरमावें। अप्रार्थी संख्या 21 के विद्वान अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त प्रश्नगत भूमि कभी भी डोली मन्दिर जागेश्वरजी के नाम दर्ज नहीं रही है। यदि उक्त भूमि डोली मन्दिर जागेश्वरजी के नाम दर्ज होती, तो प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर सिरोही की अदालत में लम्बित वाद संख्या 92/2012 में पेश जबाव में अवश्य ही डोली बाबत कथन अपने जबाव में प्रस्तुत करता लेकिन प्रार्थी द्वारा पेश जबावदावा में कोई कथन अंकित नहीं किए है। प्रार्थी ने बदनियती से अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से वंचित करने के लिए गलत तथ्यों के आधार रेफरेन्स पेश किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण को आज से कई वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार मिल चुके है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। यह कि पूर्व में उक्त भूमि पुजारी के नाम न होकर खातेदार के नाम थी। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई गलत अंकन नहीं किया गया है और इस कारण अब खातेदारी नाम को निरस्त करना कतई खातेदारों के साथ न्यायोचित नहीं है और न ही रेफरेन्स स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रार्थी को कानूनन रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई हित ही प्रभावित हो रहा है। यह कि उक्त रेफरेन्स 67 वर्ष के भारी विलम्ब से पेश होने के कारण खारिज योग्य है और न ही प्रार्थी द्वारा इसे विलम्ब से पेश करने का कोई कारण ही बताया है। यह कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि का रेफरेन्स पेश किया है उक्त भूमि जमाबन्दी संवत 2027-2030 में डोली मन्दिर बनाम जागेश्वरजी दर्ज न होकर अप्रार्थीगणों के पूर्व रसाधिकारियों के खातेदारी के रूप में दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमावें। अप्रार्थी संख्या 22 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि डोली बनाम मन्दिर जागीरदार की हैसियत से पूर्व के रेकार्ड में दर्ज होते थे। जागीरी का अधिग्रहण होने के पश्चात जागीरदार की हैसियत में श्री सरकार दर्ज हुआ है तथा खातेदारी के नाम खातेदारी के कॉलम में दर्ज होते हैं। इस कारण इस प्रकरण में भी डोली बनाम मंदिर श्री जागेश्वर वाके देह की जगह भूमिधारी के रूप में राजस्थान सरकार का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:48:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दर्ज किया गया है, जबकि खातेदार के कॉलम में सभी खातेदारान का नाम दर्ज किया गया है, जो खातेदार कदीम से अपने हक जताते व बताते काबिज काश्त है। यह कि अप्रार्थीगण बतौर खातेदार अपने खातेदारी अधिकार जताते व बताते काबिज काश्त है और प्रार्थी स्वयं भी बतौर खातेदार उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है तथा जिसमें प्रार्थी का 1/12 हक हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है एवं उसके स्वयं ने उक्त 1/12 हक हिस्से पर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बरलूट से ऋण लेकर उक्त हिस्से को रहन रखा हुआ है। यह कि जागीरदारी का अधिग्रहण होने से जागीरदार डोली बनाम मंदिर की जगह श्री सरकार दर्ज किया गया है और शेष प्रविष्टि यथावत है, जिसमें अप्रार्थीगण अपने पूर्व रसाधिकारियों के समय से बतौर खातेदार काबिज है एवं अपने हक जताते व बताते उक्त कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है। यह कि प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई वादकारण पैदा नहीं होता है एवं इस प्रार्थना पत्र के जरिए अप्रार्थी खातेदार कृषक को अपनी कृषि भूमि के हक अधिकार के कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता है। यह कि एक खातेदार कृषक को अपनी कृषि भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। खातेदार कृषक को अपने कृषि भूमि के हक अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने तहसीलदार को एवं अन्य अधिकारियों को इस सम्बन्ध में झूठी शिकायत भी की है, लेकिन वे शिकायतें झूठी पाई गई है एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई रेफरेन्स पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से तहसीलदार ने भी किसी प्रकार की कोई गलत कार्यवाही नहीं की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने के उद्देश्य से बदनियतीपूर्वक प्रस्तुत किया है, जिससे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से विशेष हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी होने से उक्त विशेष हर्जाना दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

(4) अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से दौराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम नवारा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 311 खसरा नम्बर 453, 454, 455, 590,830, 831 कुल किता 6 कुल रकबा 18.3300 हैक्टेयर कैलाश पुत्र राजा व अन्य 22 खातेदार सर्वजातियान रावल निवासियान नवारा के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद पद में वर्णित भूमि विवरण सही है केवल नये खसरा नम्बर 830 (पुराना खसरा नम्बर 715) का रकबा 7.3500 के स्थान 7.3300 हैक्टेयर दर्ज है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2013–2032 अनुसार ग्राम नवारा के खाता सं. 168 खसरा नम्बर 397, 395, 396, 499, 715, 716 कुल किता 6 कुल रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री जागेश्वर वाके देह बएतमाम पुजारी गणेश तोला पूनमा पि. केरींग 1/3 वीरा पदमा पि. अना मो[illegible]3 हांसा वल्द दोला हांसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम ब्राह्मण सा. देह पुज[illegible]खाते में दर्ज आसामियों के नाम बतौर पुजारी अंकित है तथा [illegible] देवस्थान की भूमि है। ग्राम नवारा की मिसल बन्दोबस्त संवत् 2013–2032 के खाता सं. 168 में दर्ज आसामियों के नाम बतौर पुजारी दर्ज है तथा वे खातेदार दर्ज नहीं है एवं वर्तमान जमाबन्दी खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

311 खसरा नम्बर 453, 454, 455, 830, 831 व 590 कुल किता 6 कुल रकवा 18.3300 हैक्टेयर में बतौर खातेदार दर्ज है जो न्यायसंगत नहीं है।. जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 में प्रश्नगत आराजी से संबंधित खाता सं. 164 में डोली बनाम मंदिर श्री जागेश्वरजी महादेव स्थान के नाम दर्ज था तथा इसके पश्चात् बनने वाली जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में भूमिधारी में डोली बनाम मंदिर के स्थान पर श्री सरकार दर्ज किया गया तथा पुजारियो के नाम बतौर खातेदार अंकित किये गये है, जो गलत है।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम नवारा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही के वर्तमान खसरा संख्या 453, 454, 455, 830, 831 व 590 कुल किता 06 कुल रकबा 18.3300 हैक्टेयर अर्थात 113 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि श्री जागेश्वरजी मन्दिर मूर्ति के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मौजा नवारा तहसील सिरोही जिला सिरोही सम्वत् 2013 में माफी मन्दिर डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी के नाम से दर्ज थी, जो संवत 2032 तक की जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर चलती रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2014–2017 के कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि माफी खुदकाश्त के नाम से अंकित है व भूमि अधिकारी के कॉलम में डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी वाके देह व एतमाम पुजारी श्री गणेश, तोला, पूनमा पि. केरिंग, 1/3 हिस्सा, वीरा व पदमा पि. अना, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, हांसा वल्द दोला, हांसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम ब्राह्मण सा देह पुजारी, जो मन्दिर के पुजारी थे, के नाम अंकित है। इसके पश्चात संवत 2019–2022 की खतौनी जमाबन्दी में कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि माफी देवस्थान श्री गणेश, पूनमा पि. केरिंग व राजा वल्द तोला, 1/3 हिस्सा, वीरा वल्द अना, गोकला वल्द पदमा, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, होंसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम रावल सा देह माफी देवस्थान पुजारी के नाम अंकित है एवं भूमि अधिकारी के कॉलम में डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी श्री जागेश्वरजी स्थान देह (माफी देवस्थान) पुजारियान के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी संवत 2023–2026 से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी श्री जागेश्वरजी को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 5 में श्री गणेश, पूनमा पि. केरिंग व राजा वल्द तोला, 1/3 हिस्सा, वीरा वल्द अना, गोकला वल्द पदमा, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, होंसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम रावल के नाम अंकित है। संवत 2023–2026 की जमाबन्दी खतौनी से स्पष्ट है कि संवत 2023 की जमाबन्दी में कॉलम संख्या 5 में माफी मन्दिर देवस्थान के नाम को हटाकर श्री गणेश, पूनमा पि. केरिंग व राजा वल्द तोला, 1/3 हिस्सा, वीरा वल्द अना, गोकला वल्द पदमा, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, होंसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम रावल को पहली बार सा.देह खातेदार दर्ज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संवत 2023 की जमाबन्दी में अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारो को सा. देह खातेदार दर्ज करने का कोई कारण या आधार का उल्लेख राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया है एवं संवत 2023 से बदस्तूर प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:38:50 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि अप्रार्थीगण व उनके रसाधिकारियों के नाम बदस्तूर खा. देह खातेदार दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2019–2022 की खसरा गिरदावरी में खतौनी जमाबन्दी में कृषि विवरण प्रलेख में उक्त भूमि माफी देवस्थान श्री गणेश, पूनमा पि. केरिंग व राजा वल्द तोला, 1/3 हिस्सा, वीरा वल्द अना, गोकला वल्द पदमा, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, होंसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम रावल सा देह माफी देवस्थान पुजारी के नाम अंकित है एवं भूमि अधिकारी के कॉलम में डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी श्री जागेश्वरजी स्थान देह (माफी देवस्थान) पुजारियान के नाम से राजस्व रेकर्ड में अंकित है। इसी प्रकार संवत 2023–2026 की खसरा गिरदावरी में उक्त जमाबन्दी में भूमिधारी के कालम में डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी श्री जागेश्वरजी को हटाकर उसके स्थान पर श्री सरकार अंकित किया है एवं इसके कालम संख्या 5 में श्री गणेश, पूनमा पि. केरिंग व राजा वल्द तोला, 1/3 हिस्सा, वीरा वल्द अना, गोकला वल्द पदमा, मोहन वल्द भबूता हिस्सा 1/3, होंसा वल्द चेला हिस्सा 1/3 कौम रावल के नाम का अंकन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण एवं उनके रसाधिकारियों के नाम खतौनी जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 बिना किसी आधार एवं बिना किसी अधिकारिता के खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो कानूनन गलत है। यह कि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि पर पुजारी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है, जो कानूनन गलत है। इस प्रकार, मन्दिर भूमि पर दी गई खातेदारी राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है, क्योंकि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 2019(2) आर.आर.टी. 1448 राज्य सरकार बनाम रामु एवं 2018(1) आर.आर.टी. 373 राज. राज्य बनाम मनोहरलाल व अन्य का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि माननीय राजस्व मण्डल ने मन्दिर मूर्ति की भूमियों पर खातेदारी अधिकार पाने का किसी को अधिकारी नहीं माना है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी 2013 की जमाबन्दी को नजर अंदाज कर कॉलम संख्या 4 में माफी खुदकाश्त एवं कॉलम संख्या तीन में डोली बनाम मन्दिर श्री जागेश्वरजी का नाम का अंकन होते हुए भी खतौनी जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में मन्दिर के नाम को विलोपित करते हुए अप्रार्थीगण के नाम सा. देह खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया यह इन्द्राज अधिकारिता से परे है जो राजस्व रेकर्ड पर रहने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि राजस्व रेकर्ड [illegible] रसाधिकारियों का उक्तानुसार गलत तौर पर बतौर खातेदार [illegible] हो जाने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मन्दिर मूर्ति की भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज हो गए। इस प्रकार, मंदिर मूर्ति जो कि शाश्वत नाबालिग है, की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पर आना नियमों के विपरीत है, इस कारण से मंदिर मूर्ति की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का नाम भी राजस्व रेकर्ड पर बतौर खातेदार दर्ज रहने योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम नवारा, तहसील– सिरोही जिला सिरोही के खसरा नम्बर 453, 454, 455, 830, 831 व 590 कुल किता 06 कुल रकबा 18.3300 हैक्टेयर अर्थात 113 बीघा 4 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी श्री जागेश्वरजी, के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश दिये जाते है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान दिनांक 07.04.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली मय निर्णय की अतिरिक्त प्रति के सुनवाई तिथि से पूर्व प्रेषित की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:58:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner